

Bank Name

LAND POSSESSION CERTIFICATE

Place 53

Certificate that Shri ओशियंरल कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर

Date 31-5-16

Son of

of Village शिशी

P.O. शिशी

District दलगाँव

Whose signature

is attested below is owner exclusively

acers of agricultural

Cultivating land under his possession as per Schedule give below, the revenue of the land under reference has been paid up to the 20

LAND SCHEDULE

Mauza & Thana No.	Tauzi No.	Khata No.	Khesra No.	Area		N	S	E	W
				AC	D				
21श्री 307	3	1679	575	1-5-11 1/2	एक				
		2100	576						
			577						
		2103	580						
		396	2447						
		1264	2441						
	3	356	572	0-1	-10				
				1-7	-1 1/2				

15/5/16
R.C.
16-5-16

Signature of Land Owner

Signature of Officer

Above Signature attested

LAND POSSESSION CERTIFICATE

Date 12.9.12

Certified that Shri. Oriental College of Education Sain Darbhanga by
Secretary Dr. Syed Abdul Hakeem
S/o Lat. G. Syed Abdul Hafeez of village G.N. Gang
P.O. Lahuraisarai District Darbhanga whose signature is
attested below, owns exclusively acres of agricultural
cultivated land under his possession as per our land - record, the Schedule of which is given below
The revenue of the land under reference has been paid up to the year 20012.....

LAND SCHEDULE

[illegible]

Strike out which is not applicable

S.A. H. C. K. K.
Signature of the land owner

Above Signature attested




Signature of Circle Officer

अंचल आवेकाने

संपत्ति - अवभार - प्रमाण पत्र

Oriental college
of Education D.B.J

प्रमाण पत्र सं० 552/ 2016

चुंकि श्री ओरिएण्टल कॉलेज ऑफ एजुकेशन सिसो
D2 प्रोवा (बिहार)

ने मेरे पास आवेदन किया है कि निम्नलिखित संपत्ति के संबंध में निबंधित संव्यवहारों और अवभारों का सविवरण प्रमाण पत्र दिया जाय। (आवेदन में दिये गये तथ्य के अनुसार दें)

इसलिए मैं इसके द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि उक्त संपत्ति को प्रभावित करने वाले संव्यवहारों एवं अवभारों के बारे में वही 1 में और उससे सम्बन्धित अनुक्रमणिकाओं में ता० 1-1-2004 से ता० 11-5-16 तक तलाश कि गई और ऐसी तलाशी के बाद निम्न संव्यवहारों और अवभारों का पता चला है। नहीं

क्र ० सं ०	(क) संपत्ति का विवरण	निष्पादन की तारीख	(क) दस्तावेज का प्रकार और मूल्य	पक्षों के नाम		दस्तावेज की प्रविष्टि के प्रति निर्देश		
				निष्पादक	दावेदार	जिल्द सं०	वर्ष	पृष्ठ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	मौजा - बहादुरपुर सिसो खाना ले जि० - D2 प्रोवा							
	खाना 10- 307 खाना 1679, 2100, 394							
	2103, 1264 ख 356 खेसरा 575, 577							
	576 (0) 2447 (N) 580 (0) 2441 (N)							
	ख 2446 (N) 572 (0) मात्र							
	2कवा - (01 विद्या 07 कवा 1 1/2 धुइ)							
जिला निबंधन कार्यालय, दरभंगा।								
ज्ञाप सं० - 1175 दिनांक - 16/5/16								
प्रतिलिपि:- शाखा प्रबंधक, Oriental college of Education को सूचनार्थ।								
Dorabhangar								
DISTRICT SUB-REGISTRAR, DARBHANGA								
14/5/16								

(क) दस्तावेज के अनुसार विवरण दर्ज करें।

(ख) 1. बंधक पत्र की दशा में ब्याज की दर और भुगतान की अवधि दर्ज करें बशर्ते कि इसका उल्लेख हो।

2. पटटे की दशा में पटटे की अवधि और वार्षिक लगान दर्ज करें।

मैं यह भी प्रमाणित करता हूँ कि उपर्युक्त संव्यवहारों और अवधारों को छोड़, उक्त संपत्ति को प्रभावित करने वाले किसी अन्य संव्यवहारों और अवधारों का पता नहीं चला है।

निम्न व्यक्ति ने तलाशी की और प्रमाण तैयार किया:-

(हस्ताक्षर) सुजीत कुमार :

(पदनाम) C.D.C लिपिक :

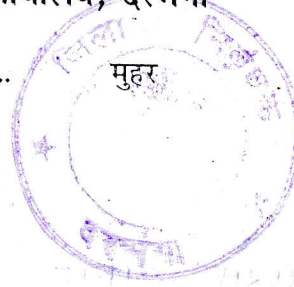
तलाशी का सत्यापन और प्रमाण पत्र की जाँच निम्न व्यक्तियों ने की :-

(हस्ताक्षर) [Signature] :

(पदनाम) [Signature] लिपिक :

कार्यालय:- जिला निबंधन कार्यालय, दरभंगा

तारीख 14/5/2016



निबंधन पदाधिकारी का हस्ताक्षर
14/5/16

1. टिप्पणी : इस प्रमाणपत्र में जो संव्यवहार और अवधार दिखाये गये हैं वे आवेदक द्वारा यथा प्रस्तुत संपत्ति वियाग के अनुसार पाये गये हैं। यदि आवेदक द्वारा दिये गये विवरण से भिन्न वियाग के तहत किन्हीं इन्हीं संपत्तियों को निर्बाधित दस्तावेज में दिखाया गया हो तो वैसी दस्तावेजों के अभाव में संव्यवहार (ट्रान्जेक्शन्स) इस प्रमाण पत्र में शामिल न किये जायेंगे।
2. निबंधन अधिनियम धारा 57 के अधीन जो व्यक्ति वहियों और अनुक्रमणियों (इन्डेक्स) की प्रविष्टियाँ देखना चाहते हों, अथवा जो उनका प्रतिलिपि लेना चाहते हो अथवा जिन्हे विनिर्दिष्ट संपत्तियों के अवधारों के प्रमाण पत्रों की जरूरत हो उन्हें तलाशी स्वयं करनी होगी। विहित फीस का भुगतान करने पर वहियों और अनुक्रमणियों उनके सामने रख दी जायेंगी।
- ✓ (क) किन्तु चूँकि वर्तमान मामले में आवेदक ने स्वयं तलाशी नहीं की है, इसलिए कार्यालय ने अपेक्षित तलाशी अपने भरसक सावधानी से की है। फिर भी, विभाग प्रमाणपत्र में दिये गये तलाशी परिणाम की किसी भूल के लिए किसी भी तरह जिम्मेदार नहीं होगी।
- (ख) किन्तु चूँकि वर्तमान मामले में आवेदक ने अपेक्षित तलाशी स्वयं की है चूँकि उसके द्वारा ढुंढे गये संव्यवहारों और अवधारों का सत्यापन के बाद प्रमाण पत्र में दिया गया है इसलिए विभाग आवेदक द्वारा न ढुंढे गये ऐसे संव्यवहारों और अवधारों की छुट के लिए किसी भी तरह संबंध न होना जिससे उक्त संपत्ति पर प्रभाव पड़ता हो।